

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या- 347/2016

बउनवान

रणवीर पुत्र श्री औकार, जाति-मीना निवासी-बालुन्दा
तहसील-मोंगरोल जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार,मोंगरोल

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री मोहम्मद रफीक कुरैशी अभिभाषक
2. पेरकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक - 02.08.2018



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल के आदेश दिनांक 18.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-बालुन्दा, तहसील-मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 147 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म गै0मु0नहर पर अतिकमी मानकर 256/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की झूठी व मनगढन्त रिपोर्ट के आधार पर बिना सुनवायी व जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है, जुर्माना राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को धुनवायी व झूठी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिकमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अपील में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 68/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में कभी भी अतिचार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 18.2.2016 में पारित जप्ति, बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 61/16 में पारित निर्णय दिनांक 18.2.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार मॉंगरोल कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावें तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.2.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जायेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.2.2016 यथावत रहेगा।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 02.08.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर

su

(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारा
जिला कलक्टर
बारा (राज.)